(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी
प्रकरण संख्या : 66/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रज्जू : 08.08.2025 निर्णय दिनांक : 23.09.2025

1. बीरबल पुत्र सुरजा जाति गुर्जर, निवासी मण्ढा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान,
2. गंगल्या पुत्र घीसा,
3. भैरू पुत्र रामनाथ,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी मण्ढा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री मुकेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर सें।

निर्णय

दिनांक–23.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क बअनुवानी गंगल्या वगै0 बनाम छीतर वगै0, प्रकरण संख्या 07/2024 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी पावटा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
   प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क बअनुवानी गंगल्या वगै0 बनाम छीतर वगै0, प्रकरण संख्या 07/2024 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2563, 2564, 2566, 2572, 2563, 2564/1,2566/1 स्थित ग्राम मण्ढा तहसील पावटा में आने जाने का रास्ता पूर्व से ही मौजूद है तथा पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता में पहले से ही मिन प्रार्थी के पुख्ता मकानात बुजुर्गान के समय से अर्सा करीब 70 वर्ष पूर्व से ही बने हुये है तथा बाउण्ड्री वॉल लगी हुई है। लेकिन फिर भी पटवारी हल्का से साज बाज होकर मिन प्रार्थी के मकानो के बीच के रास्ता लेने के लिये प्रस्तावित रिपोर्ट बनवाई है। यह बात मिन प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा को भी बताई तो उन्होने कहा कि तुम्हारे पुराने मकान है जिनको तोडकर रास्ता निकालेगे, तुम नये मकान बना लेना। प्रार्थीगण भूमाफिया है व संख्या बल

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

बहुबल एंव धनबल युक्त है और प्रार्थीगण ऐलानियां कह रहे है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा से हमारी बात हो गई है तथा हमारे पक्ष में फैसला करेगे तथा तुम्हारी भूमि में से रास्ता लेकर रहेगे। प्रार्थीगण द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से मिन अप्रार्थी को यह आभास हो गया है कि अप्रार्थी को न्याय प्राप्त नही होगा।

अन्त में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क बअनुवानी गंगल्या वगै0 बनाम छीतर वगै0, प्रकरण संख्या 07/2024 को अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करे।

4. वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पास स्वयं की खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 2563/1/0.40, 2564/0.23, 2566/0.21, 2572/0.2650, 2563/0.39, 2564/1/0.23, 2566/1/0.22 वाके मोजा मंढा तहसील पावटा की भूमि में जाने आने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं होने के कारण ही अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण काश्तकार वर्ग के व्यक्ति है तथा खेती बाड़ी कर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करते है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र पिछले 01 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्जरात प्रार्थना पत्र की बहस सुनने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही किया जिस कारण पत्रावाली वास्ते बहस उजरात हेतु नियत है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में देरी के उद्देश्य से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करें।

5. उपखण्ड अधिकारी पावटा ने पत्रांक कोर्ट/2025/415 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा बिन्दूवार टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप मनगढंत, निराधार व तथ्यहीन है। प्रकरण के निस्तारण हेतु विधिवत् कार्यवाही जैरकार है। यदि उक्त प्रकरण को किसी दिगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

6. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि वकील प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। वकील प्रार्थी को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़